शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री दिनेश मोहनिया

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 117

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>दिल्ली सरकार, एमसीडी व नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा कितने साप्ताहिक बाजारों का अधिकृत किया गया है;</td><td><u>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</u>
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 66 अधिकृत साप्ताहिक बाजार है ।
<u>पूर्वी दिल्ली नगर निगम</u>
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत अधिकृत साप्ताहिक बाजारों का विवरण निम्नलिखित है:–
<table>
<tr><th>क्षेत्र</th><th>अधिकृत साप्ताहिक बाजार</th></tr>
<tr><td>शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र</td><td>31</td></tr>
<tr><td>शाहदरा उत्तरी क्षेत्र</td><td>33</td></tr>
<tr><td>कुल संख्या</td><td>64</td></tr>
</table>
<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u>
उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 106 साप्ताहिक बाजार अधिकृत है ।
<u>नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्</u>
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी साप्ताहित बाजार नहीं लगता है ।</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>जहां इन बाजारों का लगाया जाता हैं वहां की सड़कों के चारों और की हरियाली और ग्रीन बेल्ट को हुए नुकसान का विवरण क्या है;</td><td><u>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</u>
जहां पर बाजारों को लगाया जाता है वहां की सड़कों के चारों ओर की हरियाली और ग्रीन बेल्ट को कोई नुकसान नहीं किया जाता है ।
<u>पूर्वी दिल्ली नगर निगम</u>
साप्ताहिक बाजारों को सड़को के किनारे लगाया जाता है एवं किसी ग्रीन बेल्ट को कोई नुकसान नही हुआ है ।
<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u>
साप्ताहिक बाजार जिन सड़को पर लगाया जाता है वहॉ बड़े–2 पेड़ लगे है जिनका इन पेड़ों पर कोई नुकसान नहीं होता तथा किसी भी ग्रीन बैल्टों में साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति नहीं हैं।</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>इन तेहबाजारियों के लिए जारी की गई रसीदों और उनसे सरकार को प्राप्त हुए राजस्व का विवरण क्या है;</td><td><u>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</u>
इन साप्ताहिक बाजारों में पिछले वित्तीय वर्ष 2016–17 में रुपये 58,93082/– रसीदे जारी की गई जिनसे चारों जोनों में रुपये 90,59,319/– का राजस्व प्राप्त हुआ है ।
<u>पूर्वी दिल्ली नगर निगम</u>
साप्ताहिक बाजारों से आर–4 नामक रसीद द्वारा राजस्व प्राप्त किया जाता है एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अभी तक प्राप्त किये गये राजस्व का विवरण निम्नलिखित है :–</td></tr>
</table>

		| क्षेत्र | अधिकृत साप्ताहिक बाजार | | शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र | 13,19,940 /– | | शाहदरा उत्तरी क्षेत्र | 25,48,870 /– | | कुल संख्या | 38,68,810 /– | **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** वर्ष 2016–17 से प्राप्त आय 107,95,640 /–रूपये एवं इस वर्ष 31,08,2017 तक प्राप्त आय 43,23,440 /– रूपये।
घ	तेहबाजारियों को अनुमति देने के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी का उनके पद एवं क्षेत्राधिकार सहित पूर्ण विवरण क्या है; और	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** साप्ताहिक बाजारों में प्रतिदिन के हिसाब के वैडिंग गतिविधि करने की ही अनुमति दी जाती है । जिसके लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय उपायुक्त होते हैं ! टाउन वैडिंग कमेटी के प्रभावी होने पर सभी प्रकार वैडिंग गतिविधियों का संचालन/ नियन्त्रण टाउन वैडिंग के कार्य क्षेत्र में रहेगा । **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** वर्तमान से तेहवाजारी देने के लिए नियम एवं नीति दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसके अनुसार तहवाजारियों को अनुमति एवं नियमतीकरण टाउन वैडिंग कमेटी द्वारा किया जाना है । **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** शहरी पंथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अनुसार टाऊन वैडिंग कमेटी के अधिकार क्षेत्र में आता है।
ङ	इन बाजारों के नियंत्रित करने में पुलिस अथोरिटीज को क्या भूमिका है?	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** साप्ताहिक बाजार क्षेत्र की कानून व्यवस्था, असामाजिक गतिविधि का नियन्त्रण एवं वातायात व्यवस्था के नियन्त्रण में पुलिस विभाग की अथोरिटिज की भूमिका हो सकती हैं ।

R. S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat

7/c

अनुलग्नक 'क'

पूरक सूचना-

1. उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 106 अधिकृत साप्ताहिक बाजार अधिकृत है। जिसकी क्षेत्रानुसार सूची निम्न प्रकार है।

क्षेत्र	बाजार संख्या
शहरी-पहाड़ गंज	07
सिविल लाइन	18
करोल बाग	12
रोहिणी	48
नरेला	21
कुल संख्या	106

2. प्रत्येक साप्ताहिक तहबाजारी से उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 10 रूपये कि फीस वसूल कि जाती है । अधिकृत साप्ताहिक बाजारों की तहबाजारी से प्राप्त आय वर्ष 2016-17 एवंम 2017-18 (अगस्त 2018 तक) क्षेत्रानुसार निम्न प्रकार है।

क्षेत्र	आय 2016-17	आय 2017-18 (अगस्त 2018 तक) (अगस्त 2018 तक)
शहरी-पहाड़ गंज	7,65,690	2,65,520
सिविल लाइन	20,15,450	9,45,640
करोल बाग	28,43,480	12,24,510
रोहिणी	46,56,040	16,83,670
नरेला	5,14,980	2,04,1000
जोड़	107,95,640	43,23,440

3. पंथ विक्रेता अधिनियम 2014 एंवम दिल्ली सरकार द्वारा जारी पंथ विक्रेता स्कीम जनवरी 2016 के अनुसार सभी प्रकार के पंथ विक्रेताओ का संचालन टाउन वैड़िग कमेटी द्वारा किया जाना है । टाउन वैड़िग कमेटी के गंठन का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के संमक्ष विचाराधीन है। जिसकी अगली सुवाई 24.04.2018 को निर्धरित की गई है। वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 11.01.2018 को टाउन वैडिंग कमैटी के गठन के नियम जारी किये जा चुके है । तथा टाउन वैडिंग कमैटी के की प्रक्रिया निगम के विचाराधीन है।

4. उपरोक्त प्रशनों के उत्तर आयुक्त महोदय उत्तरी दिल्ली नगर निगम से स्वीकृत है।

उत्तरी

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 117 की पूरक सूचना

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत साप्ताहिक बाजारों को सड़कों के किनारे लगाया जाता है एवं किसी ग्रीन बेल्ड को कोई नुकसान नही होता है, साप्ताहिक बाजारों से आर–4 नामक रशीद द्वारा राजस्व प्राप्त किया जाता है एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अभी तक कुल राजस्व रू0 38,68,810/– प्राप्त हुआ है। वर्तमान में तहबाजारी देने के लिए नियम एवं नीति दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गयी है, जिसके अनुसार तहबाजारियों को अनुमति एवं नियमतिकरण टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा किया जाता है।

23/03/2018
सहायक आयुक्त, ई.डी.एम.सी.

S. No.	HEAD OF A/C	NAME OF THE SCHEME	Grant/ Loan	Mort./UB Adjusted	BE 2017-18	B.E.2017-18 Including Mort.	RBE 2017-18	Ist Instt.	2nd Instt.	3rd Instt.	Total Receipt during the year 2017-18	Total Funds Incl. Moratorium	Expenditure up to previous month	Expenditure during FEBRUARY 2018	Gross Expenditure
	XL VIII F	JNNURM (Rev.)	GIA			0.00					0.00	0.00			0.00
		TRANSPORT TOTAL		184.16	200.00	384.16	300.00	0.00	-	-	-	184.16	0.00	0.00	0.00
EDUCATION SECTOR															
S. No.	HEAD OF A/C	NAME OF THE SCHEME	Grant/ Loan	Mort./UB Adjusted	BE 2017-18	B.E.2017-18 Including Mort.	RBE 2017-18	Ist Instt.	2nd Instt.	3rd Instt.	Total Receipt during the year 2017-18	Total Funds Incl. Moratorium	Expenditure up to previous month	Expenditure during FEBRUARY 2018	Gross Expenditure
1	2	3	4		6		7	8.00	9	10	11	12.00	13	-	16
1	XL-VII	Education	GIA	2,768.11	9500.00	12268.11		2375.00	4750.00		7125.00	9893.11	4633.56		4633.95
2	XL-II-D	Sports & youth Services	GIA	1.60	100.00	101.60		25.00	50.00		75.00	76.60	32.94	3.40	36.34
3	XL II G VI	Nutrition (Mid-day Meal)	GIA	36.09	2,005.00	2041.09		107.35	448.36	650.46	1206.17	1242.26	915.22	76.29	991.51
		EDUCATION TOTAL		2,805.80	11,605.00	14,410.80	-	2,507.35	5,248.36	650.46	8,406.17	11,211.97	5,582.11	79.69	5,661.80
MEDICAL SECTOR															
S. No.	HEAD OF A/C	NAME OF THE SCHEME	Grant/ Loan	Mort./UB Adjusted	BE 2017-18	B.E.2017-18 Including Mort.	RBE 2017-18	Ist Instt.	2nd Instt.	3rd Instt.	Total Receipt during the year 2017-18	Total Funds Incl. Moratorium	Expenditure up to previous month	Expenditure during FEBRUARY 2018	Gross Expenditure
1	2	3	4	5.00	6		7		8	10	11		13		15
1	XL IX (Medical)	Medical (Health Purpose)	GIA		1620.00	1620.00		405.00	810.00		1215.00	1215.00	687.12		687.12
2	XL IV AYUSH	ISM Dispensaries/Hospitals	GIA	69.21	250.00	319.21		62.50	125.00		187.50	256.71	27.32		27.32
3	XL IX (P I)	Medical (Power Imp.)	GIA	136.69	30.00	166.69		7.50	15.00		22.50	159.19	0.00		0.00
4	XL III -A	Public Health (Malaria)	GIA		1860.00	1860.00		465.00	1395.00		1860.00	1860.00	1540.23		1540.23
5	XL IX E	Other Public Health (Cremation Ground)	GIA	1,094.56	485.00	1579.56		121.25	242.50		363.75	1458.31	106.51		106.51
6	XL-III-AB-I	HRD, Training and Studies cell		-		0.00					0.00	0.00	0.00		0.00
7	XL-III-AB-II	Birth and Death activity		6.14	5.00	11.14		1.25	2.50		3.75	9.89	2.85		2.85
		MEDICAL TOTAL		1,252.29	4,250.00	5502.29	-	1062.50	2,590.00	-	3,652.50	4959.10	2364.03	0.00	2364.03
ALL SECTORS[UD+TRANS.+EDU.+MEDICAL]		Grand Total		11,549.66	38,155.00	49,616.80	28,200.00	10,341.89	17,338.36	2,802.46	30,482.71	42,234.10	32,212.22	412.51	32,396.50

पूरक सूचना/N विधान सभा प्रश्न

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम संख्या - 117

केन्द्रीय लाईसैसिंग एवं प्रवर्तन कक्ष

विषय- अल्पकालिक प्रश्न/117/स.एंव.स. दिनांक 26.03.2018 द्वारा पूछे गये साप्ताहिक बाजारों के सम्बंध में

पूरक सूचना-

1. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 66 अधिकृत साप्ताहिक बाजार अधिकृत है। जिसकी क्षेत्रानुसार सूची निम्न प्रकार है।

क्षेत्र	बाजार संख्या
मध्य क्षेत्र	08
दक्षिणी क्षेत्र	11
पश्चिमी क्षेत्र	18
नजफगढ़ क्षेत्र	29
कुल संख्या	66

2. प्रत्येक साप्ताहिक तहबाजारी से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा 10 एवंम 15 रूपये कि फीस वसूल कि जाती है । अधिकृत साप्ताहिक बाजारों की तहबाजारी से प्राप्त आय वर्ष 2016-17 एवंम 2017-18 (अब तक) क्षेत्रानुसार निम्न प्रकार है।

S.D.M.C.

क्षेत्र	आय 2016-17	आय 2017-18 (अब तक)
मध्य क्षेत्र	13,80,050	11,53,290
दक्षिणी क्षेत्र	30,62,170	28,23,274
पश्चिमी क्षेत्र	39,67,882	32,53,035
नजफगढ़ क्षेत्र	22,67,603	34,38,302
जोड़	1,06,77,705	1,06,67,901

3. पंथ विक्रेता अधिनियम 2014 एंवम दिल्ली सरकार द्वारा जारी पंथ विक्रेता स्कीम जनवरी 2016 के अनुसार सभी प्रकार के पंथ विक्रेताओ का संचालन टाउन वैंडिग कमेटी द्वारा किया जाना है । टाउन वैंडिग कमेटी के गंठन का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के संमक्ष विचाराधीन है। जिसकी अगली सुवाई 24.04.2018 को निर्धारित की गई है। वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 11.01.2018 को टाउन वैडिंग कमैटी के गठन के नियम जारी किये जा चुके है । तथा टाउन वैडिंग कमैटी के की प्रक्रिया निगम के विचाराधीन है।

4. पूर्व में दिये गये उत्तर की पूरक सूचना।

27/03/18
कार्यालय सहायक

अधिक्षक 27/3/18

प्रशासनिक अधिकारी 27/3/17

ADC/CL&EC — on leave

Addl Comm.